Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 3 | MARCH 2024

वैदिक काल में प्रशासन की प्रारंभिक संस्थाएं

प्रियंका ओझा [1]

[1] एम. ए., नैट , इतिहास.

ABSTRACT:

आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से न केवल आर्यों के भौगोलिक विस्तार, सामाजिक व्यवस्था बल्कि राजनीतिक विचारों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो जनतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जानकारी मिलती है। बल्कि इनके पारस्परिक संबंधों का भी परिचय मिलता है। आधुनिक जनतांत्रिक संस्थाओं का उद्गम इनमें निहित है।

KEYWORDS:

ऋग्वेद , सभा, समिति।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
29th March 2024	30th March 2024

विषय प्रवेश

वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऐसा माना जाता है कि, इसकी रचना ई०पू० 1500 के लगभग हुई थी, इसमें कुल 10 मण्डल है। ऋग्वेद, का प्रथम और दशम मण्डल बाद की रचना मानी गई है। इसी ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख आठ बार हुआ है। यह सभा में इकट्ठे लोगों और सभा भवन दोनों का द्योतक है। सभा' में कौन लोग थे अर्थात् इसके सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होते थे। विप्र के साथ 'सभेय' विशेषण के प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि, जब सभा प्रशासनिक प्रयोजनों से बुलाई जाती थी तब इसमें विशिष्ट लोग अर्थात् ब्राह्मण और गुरुजनों को आमंत्रित किया जाता था। ऋग्वेद के परवर्ती उल्लेख में 'स्त्री' की सभावती' अर्थात् 'सभा में जाने योग्य' कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि, स्त्री सदस्य भी इस संस्था में भाग लेते थे। सभा' एक प्राचीन संस्था है। क्योंकि इस शब्द के अनेक समरूप भारोपीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस मत का समर्थन बंदोपाध्याय ने भी किया है। कार्य विभाजन की प्रणाली से अपरिचित किसी भी आदिम सभा की तरह इसके सदस्य भी एकत्र होकर पासा खेलते थे, प्रार्थना तथा यज्ञ करते थे और पशुओं को पालतू बनाने के बारे में विचार - विर्मश करते थे।

किंतु आगे चलकर 'सभा' का स्वरूप खासकर पितृतंत्रात्मक और अभिजातीय हो गया। प्रारंभ में स्त्रियाँ इसमें सम्मिलित हुआ करती थीं परंतु उत्तर वैदिक काल में यह चलन समाप्त हो गया। कालांतर में सभा शब्द का अर्थ एक साथ चमकने वाले पुरुषों का निकाय हो गया अर्थात् इसमें बैठने वाले विशिष्ट पुरुष माने जाते थे। सभा के सदस्यों का दर्जा ऊंचा था। इसके लिऐ ऋग्वेद की कई ऋचाएँ हैं- ऋग्वेद की एक ऋचा में घोड़ों, रथों और गौओं से संपन्न तथा धन प्राप्त करने वाले तथा सभा में जाने वाले इन्द्र उपासकों का उल्लेख है। एक दूसरी ऋचा में यशस् द्वारा सभासद को प्रदत्त प्रमुखता 'का 'जिक्र है।

सभा का मूल जन जातीय स्वरूप ऋग्वैदिक काल से ही क्षीण पड़ने लगा, जब सामाजिक वर्ग विकसित अवस्था में नहीं थे तब तक यह जन जातीय सभा रही। लेकिन ज्यों-ज्यों आर्थिक असमानता बढ़ती गई और सामाजिक वर्ग विकसित होते गये, राजा की प्रधानता उभरती गई। त्यों-त्यों वह उन हैसियतदार धनी लोगों और गुरु जनो से संपृक्त होता चला गया। जिनकी बात समाज में मानी जाती थी। स्पष्ट है कि, सत्ता घोड़ों और रथ रखने वाले' अभिजात वर्ग के पास थी। जिसके सदस्यों से 'सभा' गठित होती थी। यही लोग राजा के परामर्श-मंडल के सदस्य थे तथा राजा उनकी राय और परामर्श पर निर्भर हो गया। चूंकि पशु-पालन लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन थे इसीलिए सभा में चारागाहों से संबंधित मामलों पर भी विचार- विमर्श होता था। इसीलिए सभा की गायों की श्रेष्ठता पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता था। "सभा' धर्म संबंधी कार्यकलाप से भी रहित नहीं थी। इसके सदस्य इन्द्र से सभा और सभासदों की रक्षा की याचना करते थे। जब इसकी बैठक आरंभ होती थी, तब इसमें यज्ञ किया जाता था और इस यज्ञाग्नि को सभ्य कहा जाता था।

सभा में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन होता था। अनेक उल्लेखों से प्रकट होता है कि, सभा न्यायकार्य भी करती थी। ऋग्वेद की एक परवर्ती ऋचा के आधार पर सभा को ऐसी संस्था के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है जी अभियोग लगाकर लोगों का कलंक मिटाती थी। सभा को कष्ट और प्रचंड 'कहा गया है। जिससे यह ध्वनित होता है कि, जो विधि का उल्लंघन करता था, उसके लिए सभा कष्टदायक थी।

मैत्रायणी संहिता में सभा का उल्लेख ग्राम्यवादिन (गांव के न्यायाधीश) के न्यायालय के अर्थ में हुआ है। विधि साहित्य में सभा न्यायालय या न्यायिक सभा है। जितनी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजा करता था। राजा सभा के परामर्श को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता था और इसके सदस्यों के समर्थन के बिना शायद काम नहीं चला सकता था। ये सदस्य, प्रस्तावों पर बोलते और तीखा विवाद करते थे। अथर्ववेद की एक ऋचा के स्वर और भावना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बंदोपाध्याय के अनुसार निम्न ऋचा में राजा कहता है-

प्रजापति की दी पुत्रियां 'सभा' और समिति' एक होकर मुझे संरक्षण प्रदान करें। जिस किसी से भी मैं मिलता हूं वह मेरा आदर करे और मुझे सहायता दे। हे पितरों! सभा में मेरे शब्द न्याय युक्त हों।

हे सभा, हम तेरा नाम जानते हैं, तेरा नाम परिसंवाद है। यहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग मुझसे सहमत हों। इस प्रकार की प्रार्थना राजा द्वारा करने का आशय है कि, वह सभा के समर्थन की उपेक्षा नहीं कर सकता था। सभा' में प्रार्थना इसीलिए की जाती थी कि, सहयोग बना रहे और कलह न हो। इससे ज्ञात होता है कि, 'सभा' द्वारा पारित संकल्प सभी के लिये बंधनकारी था। अथर्ववेद इसे 'नरिष्टा' कहता है। भारतीय महाकाव्यगत् अनुश्रुतियों में सभा' के स्वरूप पर विचार करते हुऐ हॉपकिंस कहते हैं- महाकाव्य में हम सभा को अनेक रूपों में पाते हैं। कहीं वह न्याय सभा है तो कहीं राजकीय सभा है, कहीं आमोद-प्रमोद के लिए एकत्र सामाजिक सभा है तो कहीं पुराने अर्थ में राजनीतिक सभा है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि, उपर्युक्त कथन में सभा के जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है उसका संबंध किस काल विशेष से है, किंतु इससे इस बात का संकेत मिलता है कि, उत्तर वैदिक परंपराएं आगे भी कायम रही हैं।

समिति:

'समिति' का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल में हुआ है। अथर्ववेद में इन दोनों निकायों का साथ-साथ उल्लेख चार बार हुआ है और हर बार 'सभा' पहले और 'समिति' बाद में आई है। इससे संकेत मिलता है कि, 'सभा' समिति से पुरानी है। लुडविंग के अनुसार समिति 'अधिक व्यापक सभा थी जिसमें न केवल सभी जन सामान्य (विशः) वरन ब्राहमण और मघवन के रूप में ज्ञात धनीमानी लोग भी शामिल थे। अर्थववेद के संदर्भ में पता चलता है कि, महिलाएँ भी इसमें शामिल होती थीं। लेकिन महिलाओं का सभा में जाना जितना स्पष्ट है, उतना 'समिति' में नहीं। 'समिति' की कार्यवाही राजनीतिक विषयों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में इसमें दार्शनिक प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती थी। श्वेतकेतु और प्रवहण जैवलि का संवाद इस कथन का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। समिति का सबंध धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं से भी था। समिति में सब एकमत होकर निर्णय पर पहुंच थे, इसके लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं।

देवताओं को अर्पित बलि से भी समिति का सबंध था। एक ऋचा में समिति में अग्नि का आह्वान किया गया है, ताकि वह बलि का अपना अंश ग्रहण करें। बंदोपाध्याय का मानना है कि, 'समिति' के कुछ सैनिक कार्य भी होते थे। प्रारंभिक भारोपीय संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भी समिति के सामरिक स्वरुप का समर्थन होता है। समिति के राजनीतिक कार्य काफी स्पष्ट हैं। संदर्भो से संकेत मिलता है कि, राजा समिति द्वारा निर्वाचित और पुर्ननिर्वाचित होता था, ऐसी अनेक ऋचाऐं हैं जिनमें राजा को समिति में उपस्थित होते और उसकी कार्यवाहियों का मार्गदर्शन करते दिखलाया गया है। समिति को राजा 'का बहुत बड़ा सहारा' माना जाता था। एक राजा अपने विपक्षियों के विनाश के लिऐ प्रार्थना करता है और दावा करता है कि, उसने उनके चित्त, व्रत और उनकी समिति' पर आधिपत्य कायम कर लिया है।

'समिति' पूर्व वैदिक काल की राजव्यवस्था का ऐसा अभिन्न अंग थी जिसके बिना राजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भैंस के लिए जिस तरह वन था, सोमरस के लिए जिस तरह घड़ा था, पुरोहित के लिए जिस तरह याचक था उसी तरह राजा के लिए समिति' थी। इस मुख्य अवलंब के बिना राजशक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राज्याभिषेक के बाद पुरोहित मंत्रोच्चारण करता है कि, राजा सिंहासन पर स्थापित हो और समिति उसके, प्रति निष्ठावान रहे।

सार्वजनिक भूमि पर शायद जनजाति के सदस्यों (विश) का नियंत्रण होता था जो समिति' जैसी सभाओं में एकत्र होते थे। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में समिति के विचारों की एकता पर बहुत जोर दिया गया है। सभा में सहमति के लिए प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है, - हमारा मंत्र एक हो, समिति एक हो, मन एक हो और हमारे चित्त (विचार) एक हों।

एक स्थान पर समान मंत्रों, समान समिति' और समान व्रत की प्राप्ति की कामना की गई है। समिति विचार विमर्श करने की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। मतैक्य पर पहुंचने के लिए इसमें जोरदार वाद विवाद होता था। एक प्रार्थना में कहा गया है कि, 'हमारे विचार विमर्श हमें एक ही बिंदु की ओर ले जाएं, हमारे वाद विवाद का उद्देश्य एक हो, हमारे संकल्पों का परिणाम एक हो। हे राजा सोम, उनमें सहमति के बीज बोओ। इस प्रकार अनेक उल्लेखों से प्रकट होता है कि, 'समिति' अत्यधिक एश्वर्यों से संपन्न थी।

परस्पर संबंध:

वैदिक लोगों की राय में दोनों का उद्गम एक ही है क्योंकि, दोनों ही प्रजापति की पुत्रियाँ हैं। अथर्ववेद में कम से कम चार बार सभा' और 'समिति का प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेख हुआ है। लुडविंग के अनुसार' समिति समात जनसमुदाय की संस्था थी और सभा' होम कालीन गुरुजन सभा जैसी संस्था थी।

निष्कर्ष:

सभा और समिति वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाऐं थीं। सभा शुरु में जनजातीय और सार्वजनिक संस्था थीं और बाद में अभिजातीय बन गई, जबकि समिति ने उत्तर वैदिक काल का अपना जनरूप कायम रखा। इनका क्रमिक विकास और विस्तार होता गया। जिसका दर्शन आज की संसदीय प्रणाली में दिखाई देता है। जो भारतीय मेघा का एक सर्वोच्च दर्शन कहा जा सकता है।

REFERENCES

1. रामशरण शर्मा :- प्राचीन भारत मे राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ

2. के.पी. जायसवाल :- हिन्दू पालिटी

3. डा. भवानी लाल भारतीय :- ऋग्वेद एक सरल परिचय